2025:CGHC:18246

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 425/2019

महाप्रबंधक (ईएक्ससीवी) एस.ई.सी.एल., गेवरा परियोजना, तहसील दीपका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. श्रीमती. सरिता बंजारे पति स्व. ललित नारायण बंजारे,आयु लगभग 22 वर्ष,जाति–सतनामी, निवासी क्वार्टर नंबर 83/1 रेलवे स्टेशन कॉलोनी कोरबा, तहसील व जिला कोरबा छत्तीसगढ़
2. कु. भूमिका बंजारे पिता स्व. ललित नारायण बंजारे, आयु लगभग 2 वर्ष, द्वारा:नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती सरिता बंजारे पति स्व.ललित बंजारे, जाति सतनामी, निवासी क्वार्टर नंबर 83/1 रेलवे स्टेशन कालोनी कोरबा, तहसील व ज़िला कोरबा छत्तीसगढ़
3. पुनऊ राम बंजारे पिता स्व. विश्राम बंजारे,आयु लगभग 48 वर्ष,जाति सतनामी, निवासी क्वार्टर नंबर 83/1 रेलवे स्टेशन कॉलोनी कोरबा, तहसील व जिला कोरबा छत्तीसगढ़
4. श्रीमती मीना बंजारे पत्नी पुनऊ राम बंजारे,आयु लगभग 44 वर्ष,जाति–सतनामी, निवासी क्वार्टर नंबर 83/1 रेलवे स्टेशन कॉलोनी कोरबा, तहसील व जिला कोरबा छत्तीसगढ़
5. महेंद्र शर्मा पिता प्रयाग शर्मा निवासी–शक्ति नगर, दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, द्वारा: महाप्रबंधक (ईएक्ससीवी), एस ई सी एल गेवरा, तहसील दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

... प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री ओ. पी. अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से श्री वैभव कार्तिक अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण 1 से 4 की ओर से	:	श्री पुनीत रूपारेल, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर निर्णय

22.04.2025

1. यह अपील मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के अधीन वाहन स्वामी ने की है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोरबा (छत्तीसगढ़) द्वारा एम.ए.सी.टी. क्रमांक 48/2013 में पारित दिनांक 15.10.2018 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है।

2. अधिकरण के समक्ष दावे का सार यह था कि दिनांक 23/24.07.2012 की मध्य रात्रि में, जब मृतक ललित नारायण बंजारे दो अन्य व्यक्तियों के साथ सूमो वाहन में गेवरा से कोरबा आ रहे थे, लगभग मध्य रात्रि 12 बजे प्रत्यर्थी क्रमांक 5 महेंद्र शर्मा, जो कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अर्थात डम्पर क्रमांक 133, मॉडल मार्क – 30 बी, 120 टन के चालक, ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाते हुए उक्त सूमो कार को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप ललित नारायण को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दावाकर्ता, जो मृतक की पत्नी, पुत्री और माता–पिता हैं, ने अधिकरण के समक्ष विभिन्न मदों के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए एक दावा आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान अधिकरण ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के उपरांत, दावाकर्तागण के पक्ष में और वाहन स्वामी (अपीलार्थी) के विरुद्ध,आवेदन की तिथि से उसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 11,90,392/– रुपये का क्षतिपूर्ति संदाय का अधिनिर्णय पारित किया जिसके विरुद्ध वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी/वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन एक यंत्र है जिसका उपयोग प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित कारखाने में किया जा रहा था, इसलिए यह मोटरयान की श्रेणी में नहीं आता। वे आगे तर्क करते है कि दुर्घटना सड़क पर नहीं हुई, बल्कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र में हुई जहाँ सामान्य नागरिकों को आवागमन की अनुमति नहीं थी। अतः वाहन स्वामी क्षतिपूर्ति के संदाय हेतु उत्तरदायी नहीं है और वाहन स्वामी को उसके दायित्व से मुक्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध करते हैं एवं तर्क करते हैं कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय न्यायसंगत व उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान की श्रेणी में नहीं आता है और दुर्घटना सड़क पर नहीं हुई थी।

7. दावा आवेदन के उत्तर में ही अपीलार्थी–वाहन स्वामी द्वारा यह तर्क किया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक हॉल डम्पर है जो किसी सामान्य या सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जाता है बल्कि खदान के प्रतिबंधित क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी तर्क किया गया है कि

प्रश्नाधीन वाहन की भार वहन क्षमता एक सामान्य डम्पर की तुलना में 8 गुना अधिक है, इसलिए यह एक विशेष प्रकार का यंत्र है और मोटरयान अधिनियम की धारा 2(28) के अधीन दी गई परिभाषा के अनुसार मोटरयान की श्रेणी में नहीं आती है।

8. इस समय मोटरयान अधिनियम की धारा 2 (28) के अधीन परिभाषित 'मोटरयान' की परिभाषा का संदर्भ लेना सुसंगत होगा, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "मोटर यान" या "यान" से कोई ऐसा यंत्र नोदित यान अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचारित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से और इसके अंतर्गत चैसिस, जिससे बाडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या चार से कम पहियों वाला यान जिसमें /[पच्चीस घन सेंटी मीटर] से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है, नहीं है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकरण में, दावाकर्ता पक्ष की ओर से दो साक्षियों, सरिता बंजारे (आवेदक साक्षी–1) और शशिकांत (आवेदक साक्षी–2) का परीक्षण कराया गया है, जबकि वाहन स्वामी की ओर से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक एम. पी. शर्मा (अनावेदक साक्षी–1) और रवींद्र कुमार उपाध्याय (अनावेदक साक्षी–2) का परीक्षण कराया गया है। पुलिस द्वारा चालक प्रत्यर्थी क्रमांक 5 महेंद्र शर्मा के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. विद्वान अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 18 से 24 में वाहन स्वामी द्वारा उठाए गए दोनों आधारों पर विमर्श करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि वाहन स्वामी द्वारा इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन यंत्र/वाहन एक हॉल डम्पर है। यह भी विवादित नहीं है कि उक्त हॉल डम्पर में इंजन, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, पहिए आदि लगे हैं। नजरी नक्शें की सत्यापित प्रति (प्र.पी.–3) से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना सड़क पर हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन डम्पर सड़क पर आया था, अर्थात वह सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त था। वाहन स्वामी द्वारा इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त डम्पर को केवल उनके व्यावसायिक परिसर में ही चलने के लिए तैयार किया गया था। वाहन स्वामी ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रश्नाधीन वाहन एक यंत्र है जो मोटरयान की श्रेणी में नहीं आता है।

11. इस विषय–वस्तु पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बोलानी ओर्स लिमिटेड (मेसर्स) विरुद्ध उड़ीसा राज्य, एआईआर 1968 ओडि.**1, के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई वाहन सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त है, तो वह एक मोटरयान है और इससे यह मायने नहीं रखता कि वह निजी सड़क पर चलता है या सार्वजनिक सड़क पर। **सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (मेसर्स) विरुद्ध उड़ीसा राज्य, एआईआर 1992 एससी 1371** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस तथ्य से कि डंपर या रॉकर भारी हैं और सड़कों को हानि पहुँचाए बिना नहीं चल सकते, यह नहीं कहा जा सकता कि वे सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड विरुद्ध उमा देवी, 1998 एसीजी 856 (पीएटी)** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी मोटरयान के सभी घटक टेरेक्स से जुड़े होते हैं और जब उसे इंजन द्वारा यांत्रिक रूप से चलाया जाता है, तो वह मोटरयान की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

12. इस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि क्या किसी विशेष वाहन को अधिनियम की धारा 2(28) के अनुसार मोटरयान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम व अन्य विरुद्ध संतोष एवं अन्य (2013) 7 एससीसी 94** में प्रकाशित प्रकरण में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मोटरयान की परिभाषा के अंतर्गत डम्पर भी आता है। डम्पर का उपयोग कारखाना परिसर में किया जाता है, इसे सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, अतः यह अधिनियम की धारा 2(28) के अधीन मोटरयान की परिभाषा की आवश्यकता को पूर्ण करेगा। पैरा 30 में, निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "28. अधिनियम की धारा 2(28) के अनुसार किसी विशेष वाहन को मोटरयान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें वाहन के उपयोग और सड़क पर उपयोग के लिए उसकी उपयुक्तता को विचार में रखा जाएगा। एक बार जब यह सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो यह महत्वहीन है कि यह सार्वजनिक सड़क पर चलता है या निजी सड़क पर, क्योंकि किसी विशेष प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोगकर्ता नाम तय करने का कोई मानदंड नहीं है। मोटरयान की परिभाषा में डम्पर और ट्रैक्टर शामिल हैं। ट्रैक्टर जो मुख्य रूप से कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है और डम्पर का उपयोग कारखाने के परिसर में किया जाता है, उन्हें सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, अतः वे अधिनियम की धारा 2(28) के अधीन मोटरयान की परिभाषा की आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। अधिनियम की धारा 2(28) में प्रयुक्त शब्द 'केवल' स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि छूट केवल उन प्रकार के वाहनों तक ही सीमित है। जो विशेष रूप से किसी कारखाने या

किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जा रहे हों। इस प्रकार, ऐसे वाहन जो सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूलित नहीं हैं, उन्हें केवल बाहर रखा जाना चाहिए।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अधिकरण का यह निष्कर्ष कि प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान की श्रेणी में आता है,अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक उचित तथ्यात्मक निष्कर्ष है और यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।

14. इसके दृष्टिगत, यह न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं पाता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

15. इस प्रकार, यह अपील, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार **खारिज** की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**